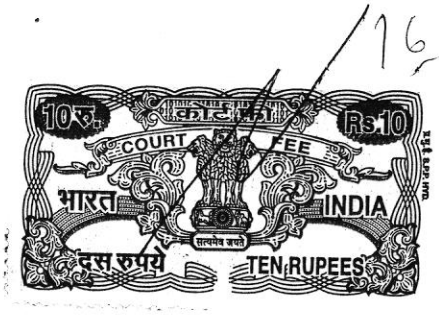

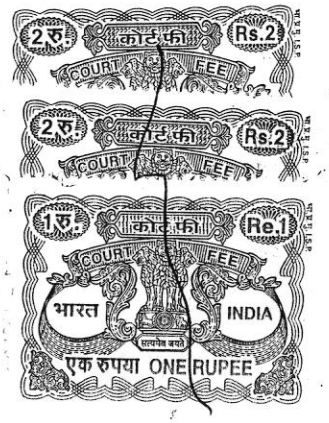

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर केम्प सागर

प्रकाश तनय धंसू साहू
निवासी– जेरोन तहसील पृथ्वीपुर
जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) ....आवेदक

//विरूद्ध//

म.प्र.शासन ....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत् धारा 50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959 एवं संशोधन अधिनियम 2011 के अनुसार

उपरोक्त आवेदक न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी जिला–टीकमगढ़ म.प्र. के प्रकरण क्रमांक. 1/अ–68 वर्ष 2012–13 में पारित आदेश दिनांक 05/12/2012 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्न प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है :–

1. यह कि प्रकरण संक्षेप. में इस प्रकार है कि हल्का पटवारी के प्रतिवेदन के आधार पर आवेदक को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया है। जिसका विधिवत् उत्तर प्रस्तुत किया था किन्तु उसके उपरांत भी अत्याधिक अर्थदण्ड एवं जेल वारंट की कार्यवाही प्रस्तावित किये जाने से यह निगरानी विधिवत् रूप से प्रस्तुत की जा रहीं हैं।

2. यह कि आलोच्य आदेश प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य एवं व्याप्त कानूनी सिद्धांतो के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-512-II/13 जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8-2-16	आवेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क के मौके पर रिकार्ड के आधार पर ग्राह्यता संबंधी निर्णय लेने का निवेदन किया गया है। मैंने रा.मं. तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया। इस आधार पर मैं यह पाता हूँ कि प्रकरण शासकीय भूमि से आवेदक का अतिक्रमण हटाए जाने से संबंधित है। आवेदक ने अतिक्रमण स्वीकार किया है, तथा आक्षेपित आदेश की दिनांक तक उसे हटाने का प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया है। अतः SDO ने आक्षेपित आदेश जारी किया है। उपरोक्त के प्रकाश में मैं आक्षेपित आदेश दि. 5-12-12 में कोई अनियमितता नहीं पाता, और उसे यथावत रखते हुए यह निगरानी खारिज करता हूँ। आदेश पारित। पक्षकार सूचित हों। रिकार्ड वापस हो। प्रकरण समाप्त। दा. द. हो। (हस्ताक्षर) 8-2-16 (सदस्य)	

[कृ. प. उ.